झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 23 वर्ष 2022

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता शहनाज बानो, वार्ड-35, राँची (नगर निगम) राँची।

Disposed 29/03/22

बनाम

प्रतिवादी DSO, राँची।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
14/03/2022	आयोग द्वारा शिकायत प्राप्ति हेतु जारी किये गये व्हाटसएट्प नं0–9142622194 पर शिकायतकर्ता **श्रीमती सहनाज बानो (9431456998), वार्ड सं0–35, दीपाटोली, पुनदाग, जिला–राँची** का शिकायत–पत्र आयोग को प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा राशन कार्ड हेतु दिनांक–12.02.2019 को ऑनलाईन आवेदन किया गया था। परन्तु तीन वर्ष की अवधि व्यतित हो जाने के बाद भी इनका राशन कार्ड निर्गत नहीं किया गया। उक्त मामले में आयोग के पत्रांक–WA/071/2022 दिनांक–14.02.2022 द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची से कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया था। जिसका अनुपालन प्रतिवेदन निर्धारित अवधि में अप्राप्त रहा। आयोग द्वारा इस मामले को गम्भीरता से लेते हुए इस पर सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–29.03.2022 को निर्धारित की जाती है। उक्त तिथि को सुनवाई के दौरान स्वयं अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची को नोटिस निर्गत किया जाय। सुनवाई के दौरान ऑनलाईन वॉट्सऐप वीडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित रहने हेतु शिकायतकर्ता को सूचित किया जाय। 14/3/2022 (Hiradhan Mahato) जिला आपू० पदा०, राँची के पत्रांक 387/आ० दिनांक 21.03.2022 के आलोक में एवं अपीलकर्ता से दूरभाष पर स्वीकारोक्ति के उपरान्त वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। 29.3.22 29.03.2022	

C:\Users\Anju\Dropbox\Anju\आदेश.docx26